143

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**
**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 292–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 287/अपील/2012–13.

............

मुकेश पिता नन्दु गरवाल
निवासी ग्राम कलसाडिया तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ

......... आवेदक

विरूद्ध

लुणचन्द्र पिता रमेश मैडा
निवासी ग्राम कलसाडिया तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ

..........अनावेदक

श्री अनुपम चौहान, अभिभाषक– आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदक

**:: आ दे श ::**
( आज दिनांक: २।|४|)२ को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर के निर्देशों के पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 52/2011–12/अ–56 दर्ज कर दिनांक 18–9–2012 को आदेश पारित कर ग्राम कलसाडिया तहसील पेटलावद जिला

झाबुआ के रिक्त कोटवार पद पर अनावेदक की नियुक्ति की गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–4–2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा मात्र ग्राम पंचायत के सरपंच की अनुशंसा मात्र पर अनावेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति की गई है । ग्राम पंचायत से विधिवत् कोई ठहराव प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है ।

(2) अनावेदक, आवेदक से कम शिक्षित है ।

(3) आवेदक के परिवार के पास कोटवार का पद तीन पीढ़ी से चला आ रहा है और उसे कोटवार का अनुभव है और दिनांक 22–3–12 से आवेदक के पिता नन्दु को कोटवार पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी ठहराव प्रस्ताव पास किया गया है । इससे स्पष्ट है कि कोटवार का पद आवेदक के पिता के पास था ।

(4) ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है और अवैधानिक रूप से ग्रामवासियों के निशानी अँगूठा ले लिये गये हैं जिसकी जॉच कराये बिना अनावेदक की कोटवार के पद पर नियुक्ति की करने में त्रुटि की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1988 आरएन 339, 1987 आरएन 208, 1972 आरएन 386, 1986 आरएन 423 एवं 2000 आरएन 55 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया है और ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव मंगाया गया है । ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदक को कोटवार पद पर नियुक्त करने संबंधी ठहराव प्रस्ताव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कोटवार का नया पद श्रृजित होने पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही कर अनावेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर की गई है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा केवल आवेदक को भूतपूर्व कोटवार के निकट सम्बन्धी होने के आधार पर प्राथमिकता देने सम्बन्धी आधार उठाया गया है । इस सम्बन्ध में जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि कोटवार का नया पद श्रृजित होने से आवेदक को भूतपूर्व कोटवार का निकट सम्बन्धी होने का लाभ प्राप्त नहीं होगा । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर